न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2 बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : मिनाक्षी मीणा
सेशन प्रकरण संख्या : 127/2022
एफ. आई.आर. संख्या : 594/2021 थाना सदर, बून्दी

आरोप अन्तर्गत धारा-302 भा.दं.सं.

निर्णय दिनांक 12-03-2026

शिकायतकर्ता	राजस्थान राज्य
उपस्थित	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	धन्नी बाई पत्नी सत्यनारायण, निवासी-अंथड़ा, थाना-सदर, बून्दी जिला-बून्दी (राज0)
उपस्थित	श्री कामरान खान, अधिवक्ता-अभियुक्ता

संदर्भित तारीखों का विवरण

घटना की तारीख	11/12/21
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	13/12/21
चार्जशीट पेश होने की तारीख	10/03/22
आरोप विरचित किये जाने की तारीख	24/07/22
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने की तारीख	11/05/22
निर्णय सुरक्षित रखने की तारीख	-
निर्णय तारीख	12/03/26
दण्डादेश की तारीख	-

मुलजिम/मुलजिमान की सूचना

क्र.सं.	मुलजिम का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत की तारीख	आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा	बरी या दोषसिद्ध	अधिरोपित दण्ड	विचारण के दौरान भुगती गई निरोध की अवधि
1	धन्नी बाई	14.12.21	13.12.23	302 भा.दं.सं.	निर्णयनुसार	निर्णयनुसार	दिनांक 14.12.21 से 13.12.23 तक

नि र्ण य

दिनांक : 12 मार्च, 2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से है कि दिनांक

13.12.2021 को फरियादी सत्यनारायण ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 11.12.2021 को सुबह 09 बजे के आसपास वह घर पर नहीं था तथा घर पर उसकी पत्नी धन्नीबाई, बच्चे लक्ष्मी व रोहित, बडे भाई की बेटी मोनिका और परिवादी के पिता रामलाल मौजूद थे। फिर जब परिवादी गांव में था तो उसको सूचना मिली कि उसके पिता घायल है। पिता को लेकर वह तुरंत बूंदी गया। जहां दीवार गिरने से पिताजी को चोट आने की बात लिखवाई थी। पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब होने से उन्हें कोटा रैफर किया। फिर तालेडा से पुलिस आ गई थी लेकिन पिताजी बयान देने की स्थिति में नहीं थे। बाद में परिवादी को जानकारी मिली कि उसके पिता के लकड़ी के फच्चर से उसकी पत्नी धन्नी बाई ने ही चोट मारी, जिससे वह घायल हुए। कन्हैयालाल पासवान ने छुडवाया था। बाद में पिताजी की दिनांक 12.12.2021 को दौराने इलाज शाम के समय मृत्यु हो गई। थाना सदर लगने की जानकारी नहीं थी इसलिए सूचना नहीं कर पाए। रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र, सदर, जिला बून्दी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 594/2021 अन्तर्गत धारा 302 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। आवश्यक सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्ता धन्नी बाई के विरूद्ध धारा-302 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध में आरोप-पत्र दिनांक 10.03.2022 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी के समक्ष पेश किया गया।

3. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान) द्वारा अभियोग पत्र के आधार पर लिये गये प्रसंज्ञान के क्रम में सम्बन्धित अपराध अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य पाते हुये न्यायालय सेशन न्यायाधीश, बून्दी को उपार्पित किया गया, जहाँ से यह प्रकरण इस न्यायालय में अन्तरण की प्रक्रिया से होते हुये प्राप्त हुआ है।

4. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्ता के विरुद्ध धारा- 302 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु आरोप विहित प्रारूप में विरचित किये जाकर सुनाये गये। अभियुक्ता ने आरोपित अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

<u>अभियोजन साक्षीगण की सूची</u>

क्रम सं.	साक्षी का नाम	किस बाबत् साक्षी
1	सत्यनारायण	फरियादी
2	भैरू लाल	फर्द पंचायतनामा व अन्य फर्द
3	रामराज	फर्द पंचायतनामा व अन्य फर्द
4	रामभरोस	फर्द पंचायतनामा व अन्य फर्द
5	मोती लाल	फर्द पंचायतनामा व अन्य फर्द
6	कन्हैया लाल	वाकयाती साक्षी

7	मोनिका	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
8	लक्ष्मी	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
9	रोहित	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
10	श्रीमती भूली बाई	फर्द जप्ती
11	मोहन लाल	मालखाना इंचार्ज
12	महेश कुमार	फर्द गिरफ्तारी
13	अरविन्द भारद्वाज	चार्जशीट
14	राजेन्द्र सिंह	दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट
15	धर्माराम	अनुसंधान अधिकारी
16	इन्द्रकुमार	रिपोर्ट पेश होना
17	श्रेया अग्रवाल	चिकित्सीय साक्षी
18	डॉ0 सुरेश कुमार	चिकित्सीय साक्षी
19	डॉ0 दुष्यन्त	चिकित्सीय साक्षी
20	सुरेश कुमार कानि.	एफ.एस.एल.

बचाव साक्षीगण की सूची

क्रम सं.	साक्षी का नाम	किस बाबत् साक्षी
निल		

अभियोजन की ओर से पेश प्रलेखों की सूची

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 1/ पी.डब्ल्यू.1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 2/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द पंचायतनामा
3	प्रदर्श पी 3/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द सुपुर्दगी लाश
4	प्रदर्श पी 4/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द नक्शा मौका
5	प्रदर्श पी 5/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द जप्ती खून आलूदा व सादा मिट्टी
6	प्रदर्श पी 6/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द जप्ती खून आलूदा धोती
7	प्रदर्श पी 7/ पी.डब्ल्यू.1	फर्द गिरफ्तारी
8	प्रदर्श पी 8/ पी.डब्ल्यू.8	पुलिस बयान लक्ष्मी
9	प्रदर्श पी 9/ पी.डब्ल्यू.9	फर्द जप्ती लकड़ी
0	प्रदर्श पी 10/ पी.डब्ल्यू.10	फर्द नक्शा मौका बरामदगी
11	प्रदर्श पी 11/ पी.डब्ल्यू.11	फर्द तस्दीक नक्शा मौका
12	प्रदर्श पी 12/ पी.डब्ल्यू.11	नकल मालखाना

13	प्रदर्श पी 13/ पी.डब्ल्यू.11	नकल मालखाना
14	प्रदर्श पी 14/ पी.डब्ल्यू.11	एफ.एस.एल. रसीद
15	प्रदर्श पी 15/ पी.डब्ल्यू.14	प्रथम सूचना रिपोर्ट
16	प्रदर्श पी 16/ पी.डब्ल्यू.15	फर्द सूचना
17	प्रदर्श पी 17/ पी.डब्ल्यू.15	फर्द सूचना
18	प्रदर्श पी 18/ पी.डब्ल्यू.15	रोजनामचा रपट
19	प्रदर्श पी 19/ पी.डब्ल्यू.15	रोजनामचा रपट
20	प्रदर्श पी 20/ पी.डब्ल्यू.15	रोजनामचा रपट
21	प्रदर्श पी 21/ पी.डब्ल्यू.15	अग्रेषण पत्र
22	प्रदर्श पी 22/ पी.डब्ल्यू.15	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
23	प्रदर्श पी 23/ पी.डब्ल्यू.15	एफ.एस.एल. रिपोर्ट

बचाव पक्ष की ओर से पेश प्रलेखों की सूची

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल		

वस्तु आर्टिकल - निल

5. अभियोजन साक्ष्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्ता के कथन अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्ता द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं को निर्दोष होना बताया व कथन किया कि पुरानी दीवार गिरने से उसके ससूर के सिर पर चोट आई थी। ससूराल वालों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर फंसा दिया।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अभियुक्ता की ओर से बहस में तर्क दिये गये हैं कि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्ता के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं कर सका है। परिवादी ने अभियुक्ता को प्रस्तुत मामले में झूंठा फंसाया है क्योकि वह परिवादिया को पसंद नहीं करता था एवं उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह रिपोर्ट मिथ्या तथ्यों पर दर्ज करवाई गई है। स्वयं परिवादी सत्यनारायण ने न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों की जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्ता धन्नीबाई द्वारा मृतक रामलाल के सिर पर चोट मारने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। जिन बच्चों के समक्ष यह घटना घटित होना बताया है उनमें मोनिका को पी.ड. 07 के रूप में परीक्षित करवाया है जो मुलजिमा के मौके पर पहूंचने व आहत को संभालने के समय ही आहत रामलाल के सिर से खून आना बताता है। जिससे स्पष्ट है कि जब रामलाल घायल हुए तब अभियुक्ता उस स्थान पर नहीं थी एवं रामलाल को संभालने के लिए पहूंची थी। गवाह पी.ड. 08 लक्ष्मी व पी.ड. 09 रोहित को तत्समय स्वयं को घर से बाहर होना बताया है। अभियुक्ता के विरूद्ध न ही तो कोई चश्मदीद साक्षी परीक्षित हुआ

और ना ही परिस्थितियों से अभियुक्ता द्वारा अपराध करना साबित हुआ है। अभियुक्ता को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

अपर लोक अभियोजक की ओर से बहस में तर्क किये गये हैं कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप प्रमाणित किये जा चुके हैं। मृतक रामलाल के सिर पर धन्नीबाई द्वारा चोट कारित किये जाने की पुष्टि गवाहान की साक्ष्य द्वारा हो रही है। मुलजिमा से घटना में प्रयुक्त लकडी की बरामदगी उसकी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर की गई है, जिसकी पुष्टि गवाहान की साक्ष्य से हुई है। स्वतंत्र गवाहान ने धारा 161 द.प्र.सं. के बयानों का समर्थन करते हुए यह जाहिर किया है कि अभियुक्ता धन्नीबाई के द्वारा ही रामलाल के सिर पर चोट मारकर उन परिस्थितियों में मृत्यु कारित की जो कि हत्या की श्रेणी में आता है। ऐसे में अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित धारा 302 भा.दं.सं. के अधीन अपराध पूर्णतः संदेह से परे साबित हैं। अतः उपस्थित अभियुक्ता को आरोपित धारा में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया, पत्रावली व विधि-व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है :-

(1) आयी अभियुक्ता ने दिनांक 11.12.2021 को सुबह करीब नौ बजे ग्राम अंथडा, थाना सदर, बूंदी में परिवादी सत्यनारायण के रिहायशी मकान में अपने ससूर रामलाल के साथ लकडी के फच्चर से उसके सिर पर चोट कारित की जिससे चोट के फलस्वरूप रामलाल की मृत्यु कारित हो गई, इस प्रकार अभियुक्ता ने रामलाल के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित की है ?

(2) यदि अभियुक्ता के विरूद्ध अपराध आरोप सन्देह से परे सिद्ध हुआ तो उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

8. प्रकरण में प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में जो घटना बताई गई है, उसके अनुसार प्रकरण में फरियादी सत्यनारायण ने बताया कि मृतक रामलाल के सिर पर परिवादी की पत्नी अभियुक्ता धन्नीबाई ने उस समय लकडी के फच्चर से चोट कारित की जब घर पर परिवादी सत्यनारायण मौजूद नहीं था एवं मात्र बच्चे मौजूद थे। उक्त चोट से रामलाल की मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 20 साक्षीगण परीक्षित करवाये गये हैं।

9. फरियादी सत्यनारायण पी.डब्ल्यू. 1 ने अपने सशपथ बयानों के मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना उसके बयान देने से पांच-छह महिने पहले की बारहवें महिने की ग्यारह तारीख की है। सुबह साढे नौ बजे जब वह गांव में था तो सोहन सिंह ने उसे फोन कर बताया कि उसके पिता घायल है और गवाह की पत्नी धन्नी बाई व उसके पिता के बीच झगडा हो गया। गवाह ने बताया कि धन्नीबाई ने उसके पिता के सिर पर मारी जिससे खून आ गया। झगडें के समय घर पर उसकी पत्नी धन्नीबाई, बच्चे लक्ष्मी व रोहित, बडे भाई की बेटी मोनिका

और परिवादी के पिता रामलाल मौजूद थे। घर में पानी की टंकी के पास झगडा हुआ था। कन्हैयालाल पासवान ने बीच-बचाव कराया था। मोहल्ले के और भी लोग आ गये थे। गवाह अपने पिता को लेकर वह तुरंत बूंदी अस्पताल गया था जहां गंभीर स्थित होने से उन्हें कोटा रैफर किया गया था। फिर कोटा अस्पताल में शाम को साढे सात बजे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उक्त मृत्यु अपनी पत्नी द्वारा पिता के सिर पर चोट मारने से होना बताया। असल तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 02, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 03, घटनास्थल के नक्शामौका प्रदर्श पी 04, फर्द जप्ती खून आलुदा व सादा मिट्टी प्रदर्श पी 05, फर्द जप्ती खून आलुदा धोती प्रदर्श पी 06, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी 07 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताया। बचाव पक्ष की जिरह में इस गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि उसकी पत्नी धन्नीबाई चिडचिडे स्वभाव की स्त्री थी जिसने पूरे परिवार को परेशान कर रखा था। उसे सोहनसिंह ने पिता के घायल होने की सूचना दी। सबसे पहले दीवार गिरने से पिता के घायल होने की सूचना मिली थी जो रिपोर्ट में भी लिखा दी थी। इस सुझाव को सही बताया कि वह सूचना मिलते ही मौके पर चला गया था। इस सुझाव को भी सही बताया कि सोहनसिंह ने पुलिस ने बयान नहीं दिये थे। ना ही परिवादी ने उसे बयान देने के लिए कहा। इस सुझाव को सही बताया कि जब वह घर पर पहूंचा तो उसके पिता कठोर धरातल पर सिर के बल घायल होकर बेहोश पडे थे। जब वह घर पर गया तो उसकी माताजी घर पर नहीं थी। इस सुझाव को सही बताया कि कोटा में इलाज के दौरान तालेडा पुलिस बयान लेने आई थी तब भी दोनों भाईयो ने दीवार से चोट लगने की बात बताई थी। इस सुझाव को सही बताया कि पिताजी के तीसरे दिन परिवार ने राय मशवरा कर पुलिस में रिपोर्ट दी थी। इस सुझाव को सही बताया कि रिपोर्ट पुलिस, वकील और परिवार से राय मशविरा करके कराई थी। इस सुझाव को सही बताया कि धन्नी से वह स्वयं और उसका पूरा परिवार परेशान हो गये थे। इस सुझाव को सही बताया कि दो-तीन बार थाने पर गया था, जहां चार-पांच खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इस सुझाव को सही बताया कि लकडी, धोती व खून आलूदा मिट्टी थाने पर ले जाकर जमा करवाई थी। इस सुझाव को सही बताया कि पंचनामा, सुपुर्दगी और नक्शे सारे कागज थाने पर तैयार किये थे। वह अपनी पत्नी धन्नीबाई को जेल से नहीं छुडाना चाहता। इस सुझाव को सही बताया कि गवाह ने और उसके भाई ने प्रतिकर के लिए दूसरी रिपोर्ट बदलकर लिखवाई थी। घटना 11 तारीख की सुबह 9 बजे हुई थी और 12 तारीख को शाम को पिताजी की मृत्यु होना बताया। इस सुझाव को सही बताया कि 13 तारीख को 02.57 पी.एम. पर परिवार ने राय मशवरा करके दूसरी रिपोर्ट लिखवाई थी। इस सुझाव को सही बताया कि उसके पिताजी लंबे चैडे छह फिट के तंदुरूस्त व्यक्ति थे जबकि धन्नीबाई पांच फिट की कमजोर महिला है।

10. साक्षी भैरूलाल पी.डब्ल्यू. 2 को घटना की पुष्टि बाबत् परीक्षित करवाया गया। जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया है कि दिनांक 11.12.2021 को सुबह 9 बजे जब वह कोटा था तो गांव के मथुरालाल जी ने फोन पर बताया

कि उसके पिता के सिर पर धन्नीबाई ने चोट मार दी है और सत्यनारायण उन्हें बूंदी अस्पताल ले गया है। फिर गवाह बूंदी अस्पताल आया। उसके पिता के सिर पर तीन-चार चोट थी। गंभीर स्थिति होने से पिता को कोटा रैफर कर दिया। सीटी स्केन में उनके सिर में ज्यादा चोट आई थी। अगले दिन दिनांक 12.12.2021 को पिताजी की मृत्यु हो गई जो धन्नीबाई द्वारा सिर पर चोट मारने की वजह से हुई। गवाह की बडी बेटी मोनिका ने ऑखों से देखा था। फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 02, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 03, घटनास्थल के नक्शा मौका प्रदर्श पी 04, फर्द जप्ती खून आलुदा व सादा मिट्टी प्रदर्श पी 05, फर्द जप्ती खून आलुदा धोती प्रदर्श पी 06 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताया। जिरह में गवाह ने कथन किया कि घटना के समय वह मौके पर नहीं था। इस सुझाव को सही बताया कि उसके भाई सत्यनारायण को सूचना दीवर गिरने से पिताजी के घायल होने की मिली थी। इस सुझाव को सही बताया कि पिताजी बेहोश थे और बयान देने की अवस्था में नहीं थे। दोनों भाईयों ने पहले सूचना घायल होने की लिखवा दी थी। रिपोर्ट तीसरे दिन लिखवाई थी। इसके बाद पीडित प्रतिकर में आवेदन कर दिया था। दो-तीन लाख प्रतिकर की वकील साहब ने कही थी। पहली किस्त नहीं मिली। इस सुझाव को सही बताया कि उसके भाई की पत्नी धन्नीबाई के चिडचिडेपन से घर के सभी लोग परेशान थे। इस सुझाव को सही बताया कि अब घर में शांति है। इस सुझाव को सही बताया कि दीवार गिरने से मृत्यु होना लिखवाते तो प्रतिकर नहीं मिलता इसलिए दूसरी रिपोर्ट लिखवाई थी। इस सुझाव को सही बताया कि उसके पिता लंबे-चैडे व शक्तिशाली थे। इस सुझाव को सही बताया कि उसके पिता के सामने उपर की ओर चोट थी जिससे वह बेहोश हो गये थे।

11. साक्षी कन्हैयालाल पी.डब्ल्यू. 6 चश्मदीद साक्ष्य के रूप में पेश हुआ है जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि उसके बयान देने से लगभग आठ-नौ महिने पहले सुबह 9-10 बजे रामलाल के मकान से चिल्लाने की आवाज आई तो वह मकान पर गया। बच्चे रो रहे थे। रामलाल पानी की टंकी के पास पडा था। धन्नीबाई नीम के पेड़ के पास लकडी का कुतेरा लेकर खडी थी। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी ने दादाजी को मार दिया। उसने धन्नी को रोका तो धन्नी ने कहा कि इधर आओ। तब गवाह साईड से निकलकर रामलाल के पास गया और साफे से उसका खून रोका। फिर पडोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें सुलाया और सत्यनारायण को बुलाकर रामलाल को अस्पताल पहूंचाया। रामलाल को कोटा रैफर किया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि घटना के समय वह मौके पर नहीं था। इस सुझाव को सही बताया कि जब वह गया उस समय रामलाल पानी की टंकी के पास जमीन पर बेहोश पडा़ था। इस सुझाव को सही बताया कि उसने किसी को भी रामलाल को मारते हुए नहीं देखा। इस सुझाव को गलत बताया कि पानी की टंकी के पास कोई दीवार गिरी हो। इस सुझाव को गलत बताया कि वह सत्यनारायण के कहने से बयान दे रहा हो।

12. साक्षी मोनिका पी.डब्ल्यू. 7 जिसे घटना के समय मौके पर होना बताया गया है तथा जो बालक है ने अपने बयानों में बताया कि 10-11 महिने पहले वह घर पर थी। सुबह नौ बजे चाचा काम से बाहर गये थे। चाची ने दादाजी के लकडी से सिर पर मारी। दो-तीन बार मारी थी। सिर पर खून निकलने लगा। चिल्लाये तो आसपास के लोग आ गये व अस्पताल ले गये। सत्यनारायण जी आ गए थे। जिरह में गवाह ने कथन किया कि दादाजी घायल हुए उस समय वह कमरे में खाना खा रही थी। दादाजी टंकी पर हाथ धोने गए थे। जिस जगह दादाजी घायल पड़े थे वह उस स्थान से नहीं दिखती जहां गवाह खाना खा रही थी। धन्नी बाई द्वारा स्वयं को खाना खिलाना बताया और दादाजी के चिल्लाने पर स्वयं के और चाची के द्वारा मौके पर भागकर जाना बताया। तब दादाजी के सिर से खून बह रहा था। उस समय रोहित और लक्ष्मण बिस्किट लेने बाहर गए थे। पानी की टंकी के पास दीवार और टापरी थी।

13. साक्षी लक्ष्मी पी.डब्ल्यू. 8 जिसे घटना के समय मौके पर होना बताया गया है तथा जो बालक है ने अपने बयानों में बताया कि 10 महिने पहले वह दादी के साथ चाईली माताजी के गई थी। घर पर मोनिका, रोहित, दादाजी और माता थी। पापा गांव गए थे। जब दादी के साथ आई तब पापा दादाजी को अस्पताल ले जा रहे थे। घटना नहीं देखी। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की गई कि गवाह ने बताया कि पुलिस को सही सही बात बताई थी घटना के समय घर पर नहीं थी। मां ने दादाजी के सिर पर लकडी मारी थी, इस बात को सही बताया है। किन्तु वक्त घटना स्वयं को घर पर नहीं होने का कथन किया है। मॉ को बचाने के लिए घर पर नहीं होने का कथन करना सही बताया। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा जब इस गवाह से जिरह की गई तो गवाह ने कथन किया कि घटना के समय वह चाईली माता के गई थी। वापस आए तो दादाजी को घायल देखा और भीड-भाड देखी। गवाह से अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा प्रश्न किया गया कि दादाजी के दीवार से लगने की बात आपको किसने बताई तो गवाह ने उत्तर दिया कि पडोसियों ने।

14. साक्षी रोहित पी.डब्ल्यू. 9 जिसे घटना के समय मौके पर होना बताया गया है तथा जो बालक है ने अपने बयानों में बताया कि 9-10 महिने पहले की बात है। सुबह 9-10 बजे पापा काम से गांव गए थे। घर पर दादाजी, मम्मी, मोनिका और स्वयं को होना बताया। मम्मी के द्वारा दादाजी के सिर पर पांच-छह बार लकड़ी मारना बताया जिससे दादाजी बेहोश हो गए। पडोस के लोग आ गए थे। दादाजी को खाट पर लिटाया तो थोडे देर बाद पापा आ गए थे। पडोसी और पापा दादाजी को अस्पताल ले गए। अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह से प्रश्न पूछा गया कि उसकी मम्मी ने दादाजी को क्यों मारा तो उसने बताया कि जब मम्मी उसे मारती थी तो वह दादा और दादी के पास चले जाता था इसलिए मारा। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर उसने बताया कि जब दादाजी घायल हुए उस समय वह दुकान पर बिस्किट लेने गया था। जब वह दुकान से आया तो दादाजी घायल पडे थे। मोनिका दादाजी को संभाल रही थी। मम्मी नहीं संभाल रही थी।

गवाह ने इस प्रश्न का उत्तर हां में दिया कि वह बिस्किट लेने गया था इसलिए उसने लडाई झगडा नहीं देखा।

15. साक्षी रामराज पी.डब्ल्यू. 3 फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 02 का गवाह है जो फर्द पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है। इस गवाह ने जिरह मे कथन किया कि सत्यनारायण ने पहले दीवार गिरने से चोट आने की बात लिखाई थी, बाद में रिपोर्ट बदली। इस सुझाव को भी सही बताया कि टापरी जिसके गिरने से चोट आई थी वह पानी की टंकी के पास थी। इस सुझाव को भी सही बताया कि सारी कार्यवाही पुलिस ने थाने में बैठकर की थी।

16. साक्षी रामभरोस पी.डब्ल्यू. 4 फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 02, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 03 और फर्द जप्ती खून आलूदा धोती प्रदर्श पी 06 का गवाह है जो फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है। इस गवाह ने जिरह मे कथन किया कि कोटा में चार-पांच खाली कागजों पर उसके अंगूठे लगवाये थे। खून आलुदा मिट्टी, धोती सत्यनारायण ने थाने में जमा करवाये थे। यह सही है कि पहले दीवार गिरने से चोट आने की बात लिखाई थी, बाद में रिपोर्ट बदली। इस सुझाव को भी सही बताया कि टापरी जिसके गिरने से चोट आई थी वह पानी की टंकी के पास थी। इस सुझाव को भी सही बताया कि सारी कार्यवाही पुलिस ने थाने में बैठकर की थी। पुलिस ने कागजों में क्या लिखा उसे नहीं पता। यह ध्यान नहीं होने का कथन किया कि सत्यनारायण ने मुआवजा लेने के लिए रिपोर्ट लिखवाई हो। टापरी गिरने से चोट आने के समय सत्यनारायण व गांव वाले पहले मौके पर पहूंचे थे।

17. साक्षी मोतीलाल पी.डब्ल्यू. 5 फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 02, नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 एवं फर्द जप्ती खून आलूदा व सादा मिटटी प्रदर्श पी 05 अपने समक्ष तैयार करना और फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। जिरह में गवाह ने कथन किया कि सत्यनारायण ने जैसा कहा वैसा ही उसने कहा। इस सुझाव को भी सही बताया कि भैरूलाल व सत्यनारायण ने बाद में रिपोर्ट बदल कर लिखवाई। इस सुझाव को भी सही बताया कि गवाह ने भैरूलाल व सत्यनारायण के साथ जाकर धोती, लकडी, मिटटी खून आलूदा पुलिस को जमा करवा दी थी। पंचनामा व नक्शा मौका की कार्यवाही अपने समक्ष थाने पर होना बताया है। किस कागज पर क्या-क्या लिखा था पता नहीं होने का कथन किया। मात्र हस्ताक्षर करना जानने का कथन किया।

18. साक्षी भूली बाई पी.डब्ल्यू. 10 फर्द जप्ती की गवाह है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया वह दिनांक 14.12.21 को थाना सदर में हैड कानि. के पद पर तैनात थी। उस दिन धर्माराम एस आई ने मुकदमा सं0 594/21 धारा 302 भादसं में ग्राम अन्तेडा मकान मुलजिम पर पहुँचकर उसके व महेश कुमार हैड कानि. के सामने मुलजिमा श्रीमती धन्नी बाई पत्नि सत्यनारायण मेघवाल को गिरफतार किया था फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 7 है। उसी दिन मुलजिमा धन्नी बाई की सूचना व निशादेही से मुलजिमा द्वारा आगे चलकर अपने रिहायशी मकान के पास बने बाडे के पास से प्लास्टिक के कटटे को हटाकर एक भूरे रंग की लकडी

जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे निकालकर पेश की फर्द जप्ती अलाय कत्ल प्रदर्श पी 9 है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 है। उसी दिन धर्माराम एस आई ने गिरफतारशुदा मुलजिमा श्रीमती धन्नी बाई की सूचना व निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक करवाई थी फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 11 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि मुलजिमा को उसी घर से गिरफ्तार किया था, जो घटनास्थल है। उसके सामने घटनास्थल व लकड़ी की कोई फोटोग्राफी नहीं करायी थी। जप्तशुदा लकड़ी आज अदालत में पेशी नहीं है।

19. साक्षी महेश कुमार पी.डब्ल्यू. 12 फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी का गवाह है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि दिनांक 14.12.2021 को वह हेड कानि. के पद पर थाना सदर बूंदी में तैनात था। उस दिन मुकदमा नम्बर 594/21 धारा 302 आई पी सी में धर्माराम सब इंस्पेक्टर द्वारा उसकी उपस्थिति में धन्नी बाई को उसके घर अन्थडा से गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 7 है। धन्नी बाई कि निशादेही से कत्ल अलाई एक लकडी का डण्डा जो उसने अपने मकान के बाडे में से निकालकर पेश किया को जप्त किया था जो फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 9 है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 है। फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 11 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि मुलजिम को घटना के दूसरे दिन गिरफ्तार किया था। घटनास्थल रिहायशी मकान से धन्नी बाई को गिरफ्तार किया था। गवाह ने स्वीकार किया कि फर्द नक्शा मौका में भी किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया। घटनास्थल की कोई फोटोग्राफी नहीं की थी। जप्तीस्थल खुला बाड़ा है, जहॉ कोई भी आसानी से आ-जा सकता है। जप्तशुदा लकड़ी आज हाजिर अदालत नहीं है।

20. साक्षी सुरेश कुमार पी.डब्ल्यू. 20 प्रकरण में जप्तशुदा माल को एफ.एस.एल. में जमा कराने का गवाह है, इस साक्षी ने बताया कि वह दिनांक 27.12.2021 पर थाना सदर बूंदी में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मु. 594/2021 धारा 302 आईपीसी में जप्तशुदा चार आर्टिकल शील्डशुदा पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी मालखाना इंचार्ज मोहनलाल एच.सी. ने एफ.एस.एल., जयपुर जमा कराने हेतु मय कागजात सुपुर्द किये थे। जिन्हें लेकर वह पहले एस.पी. ऑफिस अग्रेषण पत्र बनवाने हेतु गया जहां से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर रवाना हो दिनांक 28.12.2021 को एफ.एस.एल. जयपुर पहूंचा। उक्त चारों आर्टिकल मार्क ए, बी, सी, डी शील्डशुदा हालत में एफ.एस.एल. में जमा कराकर रसीद क्रमांक 24803/डीएनए/21 दिनांक 28.12.2021 प्राप्त कर वापस थाने आया और रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 21 है तथा एफ.एस.एल. की रसीद प्रदर्श पी 14 है। नकल रपट रवानगी व वापसी रोजनामचा क्रमशः प्रदर्श पी 19 व 20 है जो शामिल पत्रावली है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसे माल मालखाना इंचार्ज ने दिया था। उसे चार आर्टिकल सील्डशुदा अवस्था में दिये थे। एफ.एस.एल.जयपुर में माल जमा करवाने तक उक्त सभी चारों आर्टिकल उसकी कस्टडी में थे।

21. साक्षी मोहन लाल पी.डब्ल्यू. 11 मालखाना इंचार्ज के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 13.12.21 को थाना सदर में हैड कानि. के पद पर रहते हुए मालखाना प्रभारी था। उस दिन प्रकरण सं. 594/21 धारा 302 भादसं में जप्तशुदा माल श्री इन्द्रकुमार ए.एस.आई. ने मार्क ए एक सील्डशुदा कपडे की थैली में खून आलूदा धोती तथा धर्माराम एस आई ने मार्क बी एक कपडे की थैली मे सील्डशुदा खून आलूदा मिटटी व मार्क सी कपडे की थैली मे ंसील्डशुदा सादा मिटटी लाकर पेश की थी जिसे उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 342/21 पर इन्द्राज कर जमा मालखाना किया था। दिनांक 14.12.21 को श्री धर्माराम एस आई ने एक सील्डशुदा पैकिट मार्क डी जिसमे लकडी होना अंकित था लाकर पेश की थी जिसे उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 344 पर दर्ज कर जमा मालखाना किया था। दिनांक 27.12.21 को सुरेश कानि. 934 को एफ एस एल माल जमा कराने हेतु चार सील्डशुदा पैकिट मय कागजात मार्क ए,बी, सी, डी दिये थे जिसने दिनांक 28.12.21 को माल जमा कराकर रसीद लाकर पेश की थी उक्त मूल रसीद उसने आई ओ को सुपुर्द की थी। असल मालखाना रजिस्टर मार्क ए, बी, सी प्रदर्श पी 12 है। मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी 12ए है जो शामिल पत्रावली है तथा मार्क डी का असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 13 है जिसकी नकल प्रदर्श पी 13 ए है। एफ एस एल रसीद प्रदर्श पी 14 है जो उसे सुरेश कानि. ने लाकर पेश की थी। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि धर्माराम जी के हस्ताक्षर उसने मालखाना रजिस्टर में नहीं करवाये किन्तु इन्द्रकुमार के हस्ताक्षर करवाये थे। उसने एफ एस एल में माल जमा कराने हेतु सुरेश कानि. को दिया था। माल सील्ड पैक था, उसके अंदर किस तरह की लकड़ी थी, वह नहीं बता सकता।

22. साक्षी इन्द्रकुमार पी.डब्ल्यू. 16 आहत राम लाल की मृत्यु की सूचना पर अस्पताल पहुँचना बताता है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 13.12.2021 को थाना सदर बूंदी पर एस.एस.आई. के पद पर तैनात था। उस दिन थाने पर सूचना मिली कि एम बी एस कोटा में रामलाल मेघवाल की जैर ईलाज मृत्यु हो गई है, कार्यवाही हेतु किसी अधिकारी को रवाना करें। इस पर वह एम.बी.एस कोटा मोर्चरी पहुंचा जहां सत्यनारायण पुत्र रामलाल ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 11.12.21 को सुबह 9 बजे के आस पास वह घर पर नहीं था उसकी पत्नी धन्नी बाई व पिता रामलाल घर पर ही थे। उसके बच्चे लक्ष्मी बाई व रोहित एवं उसके बडे भाई की बच्ची मोनिका थी। उसे सूचना मिली कि उसके पिताजी घायल है। वह तुरंत उनको लेकर बूंदी अस्पताल आया जहां उसने दीवार गिरने से पिताजी के चोट आने की बात लिखाई थी। पिताजी की तबियत ज्यादा खराब हो जाने से कोटा रेफर कर दिया फिर तालेडा से पुलिस आई लेकिन पिताजी बयान देने की स्थिति में नहीं थे और बयान नहीं हुए। फिर उसे दिन में जानकारी मिली कि उसके पिताजी के उसकी पत्नी ने लकडी के फेक्चर की चोट सिर में मारी जिससे वह बेहोश हुए व घायल हुए। कन्हैयालाल पासवान ने छुडाया। बाद में मोहल्ले में काफी आदमी इकट्ठे हो गए। उसके पिताजी की दिनांक

12.12.21 को शाम को साढे सात बजे मृत्यु हो गई। उन्हें हमारा थाना सदर बूंदी होने की जानकारी नहीं थी इस वजह से सूचना नहीं कर पाये। इत्यादि आशय की रिपोर्ट व मामला जुर्म धारा 302 आई पी.सी. का पाया जाने पर मौके पर मृतक की लाश का पंचान के समक्ष पंचायतनामा मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी 2 है। मृतक की खून आलूदा धोती फरियादी सत्यनारायण द्वारा पेश करने पर बतौर वजह सबूत जप्त की। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 6 है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 15 है। मृतक का पोस्टमार्टम कराये जाने के पश्चात् लाश को उसके पुत्र सत्यनारायण की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 3 है। तत्पश्चात् पंचनामा, सुपुर्दगीलाश, जप्ती खून आलूदा लाकर एस.एच.ओ. साहब के समक्ष पेश की जिन्होंने उक्त तहरीर पर मु.नं.594/2021 धारा 302 आई पी सी में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि उसके द्वारा इस प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर कोटा अस्पताल गया था जहॉ मृतक के पुत्र सत्यनारायण ने रिपोर्ट दी थी।

23. साक्षी राजेन्द्र सिंह पी.डब्ल्यू. 14 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस साक्षी ने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 13.12.2021 को थाना सदर बूंदी पर आई सी थाना के पद पर तैनात था। उस दिन श्री इन्द्रकुमार ए.एस.आई. ने एम बी एस कोटा से एक तहरीरी रिपोर्ट मय फर्दात पंचनामा, लाश सुपुर्दगी व जप्तशुदा आर्टिकल माल लाकर पेश किया था। जिस पर मु.नं. 594/2021 धारा 302 आई.पी.सी. में दर्ज किया था। जिसका अनुसंधान धर्माराज थानाधिकारी के सुपुर्द किया था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है। चॉक एफ आई आर प्रदर्श पी 15 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसके समक्ष इन्द्रकुमार ने रिपोर्ट पेश की थी, सत्यनारायण ने पेश नहीं की। तहरीरी रिपोर्ट किसकी कलमी है, वह नहीं बता सकता।

24. साक्षी डॉ0 श्रेया अग्रवाल पी.डब्ल्यू. 17 चिकित्साधिकारी है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 13.12.2021 को एम. बी. एस. अस्पताल के लेब में पैथेलोजी विभाग में पोस्टेड थी। उस दिन थाना सदर बूंदी की प्रार्थना पर अशोक मूंदडा के द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें डॉ. दुष्यन्त शर्मा, डा.सुरेन्द्र मीणा एवं वह स्वयं बोर्ड की सदस्य थी। उस दिन मृतक रामलाल उर्फ रामदेव पुत्र घासीलाल का पोस्टमार्टम किया गया था। मृतक साधारण कद काठी का था। राइगर मोर्टिस पूरी तरह नहीं आया था। सिर्फ नीचे के हिस्से पर पाया गया था। उसकी दोनों आंखें बंद थी। नाक, कान, गला एवं मंुह सब स्वस्थ था। सिर में कुछ अंदरूनी चोटें थी जैसे कि -1-चार सूचर्ड लेसरेटेड वूण्ड। यह फोरहेड पर देखा गया था। 2-सूचर्ड लेसरेटेड वूण्ड। उसमें तीन टांके लगे हुए थे। वो राइट टेम्पोरोपराइटल रीजन पर था। 3-तीन एब्रेसन्स लेफ्ट साइड के दूसरी ,तीसरी व चैथी अंगूली पर था। उसका रंग भूरा था। इंटरनल इंजरी में सिर में पोइंट 1-सबस्केलप हीमेटोमा, यह राइट फ्रंटल, राइट आॅक्सिपिटल ,राइट टेम्पोरल व राइट पेराइटल रीजन पर था। 2-चार फ्रेक्चर थे राइट फ्रंटल, राइट आॅक्सिपिटल, राइट टेम्पोरल व राइट पेराइटल रीजन पर था। 3-सबड्यूरल

हेमेटोमा व सब अरकनोइड हेमरिज पूरे मस्तिष्क में देखा गया था। साथ में खून के ढक्के भी जमे हुए थे। छाती में रिब्सकार्टिलेज सब स्वस्थ था। लेरिंग्स, टेकिया, ब्रोंकाई, लंग, हार्ट सब स्वस्थ थे। पेट में पानी व खून केवेटी में नहीं मिला। स्टमक में जो गेस्टिक केवेटी है उसमें 100 एम एल पीला रंग का पानी मिला। जिसकी किस भी तरह की सुंगंध नहीं थी। छोटी आंत व बडी आंत, जिगर ,पेनक्रियाज, स्पलिन व किडनी सब स्वस्थ थे। उपर लिखी हुई व देखी हुई चोटें सब एन्टीमोर्टम थी व परीक्षण करते समय एक से तीन दिन पुरानी थी। सिर में लगी हुई चोटों की वजह से मरीज कोमा में गया और उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 है। जिसके अनुसार "सिर में लगी हुई चोटों की वजह से मरीज कोमा में गया और उसकी मृत्यु हो गई। बाद पोस्टमार्टम मृतक के शव को इन्द्रकुमार ए एस आई के सुपुर्द कर दिया था। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि मृतक के सिर के अतिरिक्त सब अंग स्वस्थ थे। वह यह नहीं बता सकती कि दीवार सिर पर गिरने से उक्त प्रकार की सिर में चोट आना संभव हैा उसे पता नहीं कि सिर पर टापरी गिर जावे तो उक्त प्रकार की सिर की चोट आना संभव है। मृतक के शरीर की चोटों की अवधि एक से तीन दिन पुरानी थी।

25. साक्षी डॉ0 सुरेन्द्र चौधरी भी चिकित्सीय साक्षी है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 13.12.2021 को सहायक आचार्य जनरल सर्जरी के पद पर एमबीएस अस्पताल कोटा में कार्यरत था। उस दिन वह रामलाल उर्फ रामदेव पुत्र घासीलाल का किया गया पोस्टमार्टम बोर्ड उपस्थित था। पोस्टमार्टम करते हुए उसके निम्नलिखित सर्जरी से संबंधित चोटे पाई गई- 1. सिर में दाई (Right frontel; Right oxipital, Right temporal, Right Perital, part of head) पर सबस्केल हीमेटोमा था। 2. चार फ्रैक्चर थे, राईट फ्रंटल राइट ऑक्सीपीटल, राईट टैम्परल, राईट पेराइटल भाग में था। 3. सबड्यूरल हेमेटोमा व सब अरकनोइड हेमरिज पूरे मस्तिष्क में देखा साथ ही खून के थक्के भी जमे थे। छाती में रिप्स व कार्टिलेन सब स्वस्थ थे। लेरिंग्स टेकिया, ब्रोकाई लंग्स, हार्ट सब स्वस्थ थे। पेट में पानी व खून पेट की केविटि में नहीं मिला था। पेट में गैस्ट्रीक केविटी है उसमे 100 एमएल पीले रंग का पानी मिला जिसमे सुगंध नही थी। छोटी आंत, बडी आंत, पेनक्रियाज, स्पीलीन, किडनी, रक्त वाहिनीयां अब स्वस्थ थे। सिर में लगी हुई चोटो की वजह से मरीज कोमा में गया व उसकी मृत्यु हुई। ऐसा बोर्ड की राय है। मृत्यु पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-22 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि वह सर्जन है, मुख्य डॉक्टर नहीं है। मृतक के सिर की चोटों के अलावा सभी अंदरूनी अंग स्वस्थ थे। यदि सिर पर कोई भारी वजनदार बल्लियॉ गिर जायें तो ऐसी चोट आना संभव है। मोटी लकडियों की बल्लियॉ जिस पर टापरी टिकी हो, वो गिर जाये तो ऐसी चोट आना संभव है।

26. साक्षी डॉ0 दुष्यन्त भी चिकित्सीय साक्षी है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 13.12.2021 को मेडिकल ऑफिसर फोरेंसिक मेडिसन विभाग एम बी एस अस्पताल कोटा में कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस थाना सदर बूंदी से रामलाल उर्फ रामदेव पुत्र श्री घासी लाल जाति मेघवाल निवासी

अंथडा थाना सदर बूंदी का पोस्टमार्टम किया गया था। मेडिकल बोर्ड का गठन डॉ0 मूंदडा ने किया था जिसमें उसके साथ डॉ0 सुरेन्द्र मीणा सर्जिकल विभाग से तथा डॉ0 श्रेया अग्रवाल पेथोलोजी विभाग से थे। मृतक साधारण कद काठी का था। राइगर मोर्टिस पूरी तरह नहीं आया था। सिर्फ नीचे के हिस्से पर पाया गया था। उसकी दोनों आंखें बंद थी। नाक,कान,गला एवं मुँह सब स्वस्थ था। जिसके शरीर पर निम्न चोटें थी- चोट संख्या 1- टांके लगी हुई कटी हुई चोट जिस पर चार टांके उपस्थित थे। सिर के दांयी तरफ जो कि भूरे रंग का था। 2-सूचर्ड लेसरेटेड वूण्ड जिस पर तीन टांके लगे हुए थे। वो राइट टेम्पोरोपराइटल आॅक्सिपिटल भाग के जुडाव स्थान पर जिस पर भूरे रंग का था। 3-तीन खरोंचनूमा चोट बांये पैर के पंजे के उपरी भाग पर के दूसरी, तीसरी व चैथी अंगूली पर था। उसका रंग भूरा था। चोट संख्या 1 व 2 को जब और खोलकर देखा गया तब चोट संख्या 1 व 2 के नीचे सबस्केलप हीमेटोमा, यह राइट फ्रंटल, राइट आक्सिपिटल, राइट टेम्पोरल व राइट पेराइटल रीजन पर था और परीक्षण करने पर सिर की दांहीनी फ्रंटल बोन चार फ्रेक्चर थे राइट फ्रंटल, राइट ऑक्सिपिटल, राइट टेम्पोरल व राइट पेराइटल रीजन पर था। सिर की हड्डियॉ हटाने के बाद मृतक के दिमाग में एस सबड्यूरल हेमेटोमा व सब अरकनोइड हेमरिज पूरे मस्तिष्क में देखा गया था। साथ में खून के ढक्के भी जमे हुए थे। छाती में रिब्सकार्टिलेज सब स्वस्थ था। लेरिंग्स, टेकिया, ब्रोंकाई, लंग, हार्ट सब स्वस्थ थे। पेट में पानी व खून केवेटी में नहीं मिला। स्टमक में जो गेस्टिक केवेटी है उसमें 100 एम एल पीला रंग का पानी मिला। जिसकी कोई विशिष्ट तरह की सुंगंध नहीं थी। छोटी आंत व बडी आंत, जिगर ,पेनक्रियाज,स्पलिन व किडनी सब स्वस्थ थे। सभी चोटें सब एन्टीमोर्टम थी व परीक्षण करते समय एक से तीन दिन पुरानी थी। सिर में लगी हुई चोटों की वजह से मरीज कोमा में गया और उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 है। बोर्ड की राय के अनुसार "सिर में लगी हुई चोटों की वजह से मरीज कोमा में गया और उसकी मृत्यु हो गई। बाद पोस्टमार्टम मृतक के शव को इन्द्रकुमार ए एस आई के सुपुर्द कर दिया था। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि वह किसी डिजीज का स्पेशलिस्ट नहीं है। मृतक के शरीर के सभी अंग व दिमाग को छोड़कर कोई एकनोरमिलिटि नहीं थी। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि उक्त चोटें सिर पर दीवार गिर जाये तो आना संभव हो। सिर पर टापरी गिर जावे तो भी इस प्रकार की चोट आना संभव नहीं है क्योंकि सिर के जिस भाग पर बाहरी चोटें हैं उन्हीं चोटों के नीचे की हड्डी भी फ्रेक्चर है। मोटी लकड़ी की बल्ली के गिरने से उक्तानुसार चोटें आना संभव नहीं है।

27. साक्षी अरविन्द भारद्वाज पी.डब्ल्यू. 13 द्वारा प्रकरण में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 05.03.2022 को थाना सदर बूंदी पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन मु.नं.594/2021 धारा 302 आई पी सी के पत्रावली अनुसंधान अधिकारी श्री धर्माराम ने लाकर पेश की थी। बाद अवलोकन पत्रावली उसने मुलजिमा धन्नी बाई पत्नी सत्यनारायण के विरूद्व जुर्म धारा 302 आई पी सी में जुर्म प्रमाणित पाया

जाने पर चार्जशीट कता कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं कया गया।

28. साक्षी धर्माराम पी.डब्ल्यू.15 प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 13.12.2021 को थाना सदर बूंदी पर एस.एच.ओ. थाना के पद पर तैनात था। उस दिन मु.नं.594/2021 धारा 302 आई.पी.सी. की पत्रावली मय पंचनामा व सुपुर्दगीलाश मृतक रामलाल अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई। उसने दौराने अनुसंधान दिनांक 13.12.2021 को फरियादी सत्यनारायण की निशांदेही से घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 4 है। घटना स्थल से खून आलूदा व सादा मिट्टी जप्त कर फर्द जप्ती बनाई जो प्रदर्श पी 5 है। दिनांक 14.12.21 को मुलजिमा श्रीमती धन्नी बाई को गिरफ्तार किया। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 7 है। मुलजिमा धन्नी बाई ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वेच्छा से सूचना दी कि आज से चार दिन पहले उसने उसके ससुर रामलाल के साथ लकडी से मारपीट की वह जगह वह चलकर बता सकती है। फर्द सूचना प्रदर्श पी 16 है। उसी दिन एक अन्य सूचना दी कि उसने उसके ससुर के साथ जिस लकडी से मारपीट की वह लकडी वह चलकर बता सकती है। फर्द सूचना प्रदर्श पी 17 है। मुताबिक सूचना घटना स्थल की तस्दीक मुलजिमा धन्नी बाई ने आगे चलकर उसके रिहायशी मकान पर पहुंचकर कराई। फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी 11 है। मुताबिक सूचना धन्नी बाई ने आगे चलकर अपने रिहायशी मकान के पास बनी गुवाडी में बाड के पास एक प्लास्टिक के कट्टे को हटाकर भूरे रंग की लकडी जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे निकालकर पेश की जिसे बतौर वजह सबूत जप्त किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 9 है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 है। बयान गवाहन फरियादी सत्यनारायण, बाल साक्षी लक्ष्मी, रोहित, मोनिका, भैरूलाल, कन्हैयालाल, मोहन लाल व सुरेश कुमार के उनके कहे अनुसार लेखबद्व किये गये। मुलजिमा का आपराधिक रिकार्ड शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी 18 है। नकल रपट रवानगी व वापसी सेम्पल एफ.एस.एल. ले जाने बाबत् प्रदर्श 19 व 20 है जो शामिल पत्रावली है। जप्तशुदामाल एफ.एस.एल. जॉच हेतु भिजवाया गया जिसका अग्रेषण पत्र शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी 21 है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। एफ एस एल की रसीद प्रदर्श पी 14 शामिल पत्रावली की। मालखाना रजिस्टर की प्रति शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी 12 ए है। समस्त अनुसंधान से मुलजिमा धन्नी बाई पत्नी सत्यनारायण मेघवाल के विरूद्ध धारा 302 आई पी सी का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर पत्रावली एस एच ओ साहब श्री अरविंद भारद्वाज जी को सुपुर्द की जिन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया । उसके द्वारा प्रकरण में मुलजिम की निशादेही से एक लाठी बरामद की गई थी तथा मृतक के कपडे व लाठी जिससे उसके उपर वार किया गया था को एफ एस एल जांच हेतु भिजवाया गया था जिसकी एफ.एस.एल व डी.एन.ए. रिपोर्ट प्रदर्श पी 23 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि तहरीरी रिपोर्ट किसने लिखी, उसे जानकारी नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि सत्यनारायण ने प्रारम्भ में तहरीरी

रिपोर्ट प्रदर्श पी'1 में दीवार गिरने से पिताजी के चोअ आने की बात बताई थी। मृतक की लाश की पंचनामा के समय फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करवायीद। घटनास्थल पर लगा टीनशेड कच्ची दीवार पर था या पक्की दीवार पर इसका इन्द्राज नक्शा मौका में नहीं किया। मौके पर पड़े मलबे की फोटोग्राफी नहीं करवायी। अभियुक्त को मृतक की मृत्यु के बाद मौके से ही गिरफ्तार किया था। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि हत्या के कारण का साक्ष्य संग्रहित नहीं किया हो बल्कि हत्या पारिवारिक कारण से हुई है। गवाह ने स्वीकार किया कि जप्ती में स्वतंत्र गवाह नहीं हैं। मृतक जिस जगह पड़ा हुआ था, वह जगह कच्ची है। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु दीवार गिरने से हुई हो।

29. पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। यदि सर्वप्रथम घटना घटित होने की परिस्थितियों पर विचार किया जाये तो अभियोजन पक्ष के अनुसार धन्नी बाई द्वारा उस समय मृतक राम लाल के सिर पर लकड़ी (फच्चर) की चोट कारित कर हत्या कारित की गई, जबकि घर पर अभियुक्ता एवं मृतक तथा अभियुक्ता के दो बच्चे एवं उसके देवर की एक बच्ची ही घर पर मौजूद थी, अन्य कोई वयस्क व्यक्ति घर पर मौजूद नहीं था। प्रस्तुत मामले में चश्मदीद गवाह भी घर पर मौजूद बच्चों को ही बताया गया है, अन्य सभी गवाह सुनी-सुनाई साक्ष्य दे रहे हैं। ऐसे में मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह वे तीनों बच्चे हैं जो घटना के समय घर पर बताये गये थे। जिनमें गवाह पी.डब्ल्यू. 7 मोनिका 12 वर्षीय बालिका थी, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसकी चाची द्वारा दादाजी के लकड़ी की सिर पर मारी गई थी, परन्तु सम्पूर्ण मुख्य परीक्षा में चाची का नाम नहीं बताया गया है। यदि यह उपधारणा भी की जाये कि उक्त चाची से गवाह का आशय अभियुक्ता धन्नी बाई से है तो भी जिरह में इस गवाह ने यह कथन किया है कि जिस जगह वह खाना खा रही थी, उस जगह से यह स्थान जहॉ उसके दादाजी घायल पड़े थे, वह स्थान दिखाई नहीं देता है। वक्त घटना वह खाना खा रही थी और उसकी चाची खाना खिला रही थी, दादाजी के चिल्लाने पर वह और उसकी चाची मौके पर भागकर गये थे। ऐसे में जब इस गवाह की चाची दादाजी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके साथ ही भागकर मौके पर गई थी तो उसके द्वारा चोट मारे जाने का तथ्य सन्देहास्पद हो जाता है।

30. दूसरे चश्मदीद साक्षी के रूप में बालिका लक्ष्मी पी.डब्ल्यू. 8 जो कि तत्समय् 11 वर्ष की थी, जो परीक्षित करवाया गया, यह गवाह अभियुक्ता धन्नी बाई की पुत्री है, जिसने अपने मुख्य परीक्षा में किये गये प्रश्नों के संबंध में ही यह कथन किया है कि घटना के समय वह अपनी दादी के साथ गई थी एवं उसने घटना नहीं देखी। इस गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर एवं यह प्रश्न करने पर कि घटना उसके समक्ष घटित हुई, उसने स्पष्ट रूप से इनकार किया कि वह घटना के समय घर पर नहीं थी। ऐसे में यह गवाह भी घटना की चश्मदीद नहीं मानी जा सकती है व इस गवाह ने धन्नी बाई द्वारा रामलाल

को चोट कारित करने की बात किस आधार पर बतायी, यह इसकी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है।

31. तृतीय चश्मदीद साक्षी के रूप में गवाह रोहित पी.डब्ल्यू. 9 जो कि 9 वर्षीय बालक था, को परीक्षित करवाया गया। इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये प्रश्नों में यह घटना के बारे में बताया कि उसकी मम्मी ने दादाजी के सिर पर लकड़ी मारी थी परन्तु जब अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में उससे यह प्रश्न किया गया कि जब दादाजी घायल हुए, वह कहॉ गया था तो उसने दुकान पर बिस्किट लेने जाने की बात बताई एवं इस प्रश्न का उत्तर भी हॉ में दिया कि जब वह दुकान से आया तो दादाजी घायल पड़े हुए थे। अर्थात् यह गवाह भी घटना का चश्मदीद साक्षी हो, यह तथ्य जिरह में किये गये उसके उत्तर से सन्देहास्पद हो जाता है।

32. इन गवाहान के अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 6 कन्हैया लाल को भी घटना का चश्मदीद बताया गया परन्तु कन्हैया लाल ने यह कथन किया है कि वह चिल्लाने की आवाज सुनकर राम लाल के मकान पर गया था, जहॉ उसे बच्चों ने बताया कि धन्नी बाई ने दादाजी को मार दिया है, परन्तु इस गवाह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन बच्चों द्वारा उसे यह बताया गया कि धन्नी बाई ने दादाजी को मारा है क्योंकि जो बच्चे न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाये गये हैं वे इस तथ्य को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हें कि धन्नी बाई ने राम लाल के सिर पर चोट मारी। इसी प्रकार स्वयं कन्हैया लाल का भी यह कथन रहा है कि धन्नी बाई तत्समय् लकड़ी का कुतेरा लेकर खड़ी थी, परन्तु प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता धन्नी बाई से कोई कुतेरा जैसा धारदार हथियार बरामद नहीं किया गया। अपितु धन्नी बाई से जो बरामदगी होना बतायी गई है, वह प्रदर्श पी-9 के अनुसार एक लकड़ी है जिस पर किसी प्रकार का कोई कुतेरा लगा हो, ऐसा दर्शित नहीं हो रहा है। यदि इस गवाह की जिरह का अवलोकन किया जाये तो वह स्वयं स्वीकार करता है कि वह मौके पर नहीं था, वह शोर सुनकर वहॉ पहुँचा था एवं उसने किसी को भी राम लाल को मारते हुए नहीं देखा। इस प्रकार इस गवाह को भी चश्मदीद साक्षी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

33. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 1 सत्यनारायण, पी.डब्ल्यू. 2 भैरू लाल मृतक के पुत्र हैं परन्तु ये घटना के समय घर पर नहीं थे, जिन्हें चश्मदीद साक्षी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। गवाह पी.डब्ल्यू. 1 सत्यनारायण अपनी मुख्य परीक्षा में बताता है कि उसे कन्हैया लाल ने घर पर झगड़ा होने की बात बताई थी, जब वह आया तो उसके पिता के सिर पर चोट कारित थी, जिन्हें लेकर वह अस्पताल पहुँचा, वह अपने पिता की इस चोट के कारण मृत्यु होना बताता है और यह भी स्पष्ट करता है कि यह चोट धन्नी बाई ने ही मारी थी। परन्तु इस गवाह को जब शुरू से ही यह जानकारी थी कि चोट धन्नी बाई द्वारा कारित की गई है तो उसने सर्वप्रथम इस आशय की रिपोर्ट क्यों पेश की कि उसके पिता दीवार गिरने से आई सिर की चोट की वजह से घायल हो गये हैं, यह स्पष्ट नहीं है। सत्यनारायण प्रस्तुत मामले में परिवादी है परन्तु न्यायालय के समक्ष अभियोजन की साक्ष्य से

यह प्रकट हो रहा है कि स्वयं सत्यनारायण ने ही सर्वप्रथम अपने पिता का दीवार गिरने से घायल होना बताया था एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् अभियुक्ता धन्नी बाई द्वारा सिर पर चोट मारने की रिपोर्ट दर्ज करवायी, जो कि घटना से करीब तीन दिन बाद दर्ज करवायी गई। इस तीन दिन के विलम्ब के संबंध में स्वयं सत्यनारायण ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट परिवार वालों एवं वकील से सलाह करके करवायी थी। वह तथा उसकी परिवार धन्नी से परेशान हो गया था एवं गवाह ने यह भी कथन किया कि उसने तथा उसके भाई ने प्रतिकर के लिये बाद में दूसरी रिपोर्ट बदलकर लिखवाई थी। इस प्रकार इस गवाह के बयानों से ऐसा प्रकट होता है कि अपनी पत्नी से परेशान होने की वजह से तथा प्रतिकर प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने प्रथम रिपोर्ट को बदलकर दूसरी रिपोर्ट राय मशविरा कर दर्ज करवायी थी, जिसकी वजह से घटना के संबंध में दर्ज करवायी गई इस दूसरी रिपोर्ट की सत्यता सन्देहास्पद हो जाती है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 2 भैरू लाल जो कि मृतक का पुत्र है, घटना के समय कोटा में था एवं जिरह में स्वीकार करता है कि उसके भाई सत्यनारायण ने दीवार गिरने से पिता के घायल होने की सूचना दी थी। यह गवाह इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि पिता की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 13.12.2021 को राय मशविरा करके रिपोर्ट लिखवा दी थी, इसके बाद पीडित प्रतिकर में आवेदन कर दिया था। यह गवाह इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि वह तथा उसका परिवार उसके भाई की पत्नी धन्नी के चिडचिडे स्वभाव से परेशान था और धन्नी के चले जाने से उनके घर में शान्ति है। यहॉ तक कि इस गवाह द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि यदि दीवार गिरने से मृत्यु होना लिखवाते तो प्रतिकर नहीं मिलता, इसलिये दूसरी रिपोर्ट लिखवायी थी। ऐसे में इस गवाह के बयानों से भी ऐसा प्रतीत होता है कि रिपोर्ट प्रतिकर प्राप्त करने के लिये बदलवायी गई थी एवं धन्नी के चिडचिडे व्यवहार से परिवार के सभी व्यक्ति परेशान थे।

34. इन गवाहान के अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 3 रामराम व पी.डब्ल्यू. 4 रामभरोस फर्द पंचायतनामा मृतक राम लाल के गवाह हैं परन्तु इन गवाहान ने अपनी जिरह मे इस सुझाव को सही बताया कि पहले सत्यनारायण ने रिपोर्ट में दीवार गिरने से राम लाल को चोट आना बताया था एवं बाद में रिपोर्ट बदल दी थी। यहॉ तक कि गवाह रामभरोस ने तो जिरह में यह भी कथन किया है कि टापरी की दीवार गिरी, वह पानी की टंकी के पास ही थी। यह गवाह फर्द पंचनामा भी थाने पर ही बनाना बताते हैं। इस गवाह ने यह भी कथन किया कि टापरी गिरने से चोट आने पर सबसे पहले सत्यनारायण व गांव वाले मौके पर पहुँचे थे। इस प्रकार इन गवाहान के बयान से यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि टापरी/दीवार गिरने की घटना भी घटित हुई थी, जिसे पुलिस द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया।

35. इस प्रकार घटना की पुष्टि के संबंध में जो भी गवाह परीक्षित हुए है, उनकी साक्ष्य से यह सन्देह से परे साबित नहीं है कि धन्नी बाई द्वारा रामलाल के सिर पर चोट मारने की घटना किसी भी व्यक्ति द्वारा देखी गई हो। अब यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बिन्दु पर विचार किया जाये तो अभियोजन के अनुसार

मौके पर तत्समय् अभियुक्ता मौजूद थी, जिसने मृतक राम लाल के सिर पर लकड़ी से चोट मारकर यह घटना कारित की, परन्तु सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि इस घटना को कारित करने के पीछे अभियुक्ता का उद्देश्य क्या था और यह घटना किस वजह से कारित की गई थी। अभियोजन के किसी भी गवाह ने इस बिन्दु को स्पष्ट नहीं किया कि वास्तव में धन्नी बाई द्वारा अपने श्वुसर के सिर पर लकड़ी क्यों मारी ? यहॉ तक कि मृतक के परिजन व अनुसंधान अधिकारी भी इस बिन्दु को स्पष्ट करने में असमर्थ हैं कि घटना के पीछे का कारण क्या रहा। इसी प्रकार मौके पर ऐसी कोई परिस्थिजन्य साक्ष्य मिलना पत्रावली से दर्शित नहीं हो रहा है, जो अभियुक्ता धन्नी बाई द्वारा यह घटना कारित करना सिद्ध करे। हालांकि धन्नीबाई की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर उससे घटना में उपयोग ली गई लकड़ी बरामद होना बताया गया है, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-9 के रूप में संलग्न है एवं इस बरामदगी के गवाह हैड कानि. भूली बाई जो कि पी.डब्ल्यू. 10 के रूप में परीक्षित करवायी है एवं हैड कानि. महेश जो कि पी.डब्ल्यू. 12 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, को बनाया गया है, परन्तु बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। जबकि गवाह पी.डब्ल्यू. 1 सत्यनारायण स्वयं अपनी जिरह में यह कथन करता है कि कथित लकड़ी उन्होंने ही थाने में जाकर जमा करवायी थी। यह गवाह इस सुझाव को भी सही बताता है कि खून आलूदा धोती, मिट्टी व लकड़ी आदि वे ही थाने पर लेकर गये थे और जमा करवायी थी। ऐसे में जब कथित लकड़ी जिसे घटना में उपयोग लेना बताया गया है, स्वयं परिवादी अपने द्वारा थाने में जमा कराना बताता है तो निश्चित रूप से फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-9 सन्देहास्पद हो जाती है। यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्ता ने स्वेच्छा से आगे-आगे चलकर अपने रिहायशी मकान के बाडे से निकालकर यह लकड़ी दी। गवाह पी.डब्ल्यू. 12 महेश कुमार ने तो जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि जिस स्थान से बरामदगी करना बताया है, वह खुला बाड़ा है, जहॉ आसानी से कोई भी आ जा सकता है। इस प्रकार पत्रावली पर जप्तशुदा लकड़ी की बरामदगी भी अभियुक्ता से किया जाना सन्देहास्पद है।

36. अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त लकड़ी को वास्ते जॉच विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्श पी-23 के रूप में पेश की गई है, उक्त रिपोर्ट के अनुसार लकड़ी व धोती पर मौजूद रक्त नमूनों की जॉच से डी.एन.ए. एक ही पाया गया, अर्थात् जो रक्त धोती पर था, वहीं लकड़ी पर मौजूद था, परन्तु उक्त रक्त मृतक राम लाल के डी.एन.ए. से मेल खा रहा हो, इस रिपोर्ट से ऐसा दर्शित नहीं होता है, क्योंकि धोती, लकड़ी, खून आलूदा मिट्टी के अतिरिक्त मृतक राम लाल के रक्त का अलग से कोई नमूना मिलान हेतु भेजा जाना, इस रिपोर्ट से दर्शित नहीं हो रहा है। साथ ही यदि यह उपधारणा भी की जावे कि लकड़ी व धोती पर मौजूद रक्त राम लाल का ही है, तो भी यह साबित किया जाना आवश्यक था कि उक्त लकड़ी से अभियुक्ता द्वारा राम लाल के सिर पर चोट कारित की गई, परन्तु फिंगर प्रिन्ट विशेषज्ञ की ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली

पर नहीं है, जिससे यह साबित हो कि कथित बरामद लकड़ी पर अभियुक्ता धन्नीबाई के फिंगर प्रिन्ट मौजूद थे।

37. इस प्रकार पत्रावली पर ऐसी कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी दर्शित नहीं हो रही है जो यह साबित करे कि जिन परिस्थितियों में राम लाल की मृत्यु हुई है, उनमें मात्र अभियुक्ता द्वारा ही यह घटना कारित की जा सकती थी। जबकि प्रस्तुत मामले में तो स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 15 धर्माराम ने तो यह भी स्वीकार किया है कि जिस स्थान पर यह घटना घटित होना बतायी गई है, वहॉ मलबा पड़ा हुआ था एवं वह जगह कच्ची थी। अनुसंधान अधिकारी भी घटना के कारण को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है और मात्र पारिवारिक कारणों से हत्या कारित करना बता रहा है जबकि हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने हेतु कौनसी पारिवारिक परिस्थिति मौजूद थी, यह न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं हो रहा है। अन्य गवाहान की साक्ष्य से भी यह तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है कि यह घटना अभियुक्त धन्नी बाई द्वारा कारित की गई हो।

38. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार ना ही तो पत्रावली पर घटना का कोई चश्मदीद साक्षी मौजूद है, जिसके द्वारा घटना देखा जाना सन्देह से परे साबित हो, ना ही अभियुक्ता से उसकी स्वेच्छा सूचना पर हथियार की बरामदगी साबित है। अपितु घटना वाले दिन पहली रिपोर्ट दीवार गिरने से मृतक के चोट आने के संबंध में लिखवायी गई व तीन दिन बाद धन्नीबाई द्वारा घटना कारित करने की रिपोर्ट लिखवाई गई, जिसके संबंध में मुख्य गवाहान की जिरह में यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि उक्त रिपोर्ट प्रतिकर प्राप्त करने के लिये बदली गई थी। घटना के पीछे अभियुक्ता का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, ना ही ऐसी कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रकट हो रही है, जो अभियुक्ता को उक्त अपराध से जोड़े। अतः उक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन अपनी कहानी को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं कर सका है।

39. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य के उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण से न्यायालय का यह निष्कर्ष रहा है कि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से युक्तियुक्त सन्देह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्ता ने दिनांक 11.12.2021 को सुबह करीब नौ बजे ग्राम अंथडा, थाना सदर, बूंदी में परिवादी सत्यनारायण के रिहायशी मकान में अपने ससूर रामलाल के साथ लकडी के फच्चर से उसके सिर पर चोट कारित की जिससे चोट के फलस्वरूप रामलाल की मृत्यु कारित हो गई, इस प्रकार अभियुक्ता ने रामलाल के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित की हो। अतः अभियुक्ता धन्नी बाई भा.दं.सं. की धारा 302 के अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निष्कर्षतः अभियुक्त धन्नी बाई पत्नी सत्यनारायण, निवासी-अंथड़ा, थाना-सदर, बून्दी जिला-बून्दी (राज0) को भा.दं.सं. की धारा 302 के अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्ता द्वारा विचारण के दौरान उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा माल लकड़ी व कपड़ों को बाद गुजरने मियाद अपील तथा अपील नहीं होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट किया जावे। अभियुक्त को धारा 481 भा.ना.सुं.सं. के अधीन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उपस्थित होने हेतु 10,000/-रूपये का बन्ध-पत्र एवं इसी राशि का प्रतिभूति-पत्र प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(मिनाक्षी मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-2
बून्दी (राजस्थान)

40. आदेश आज दिनांक 12 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-2
बून्दी (राजस्थान)